Page No.
Date

R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B Part - IInd
Paper - VIth
Environmental Law

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन

राज्य बोर्डों का गठन
राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नामाकरण 1988 के संशोधन द्वारा किया गया। नया नामाकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए किया गया।
राज्य बोर्डों का गठन निम्न तरीकों से किया जाता है:-

(1) अध्यक्ष - राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का एक अध्यक्ष नियुक्त होता है जो पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकता है। अध्यक्ष की निम्न योग्यताएँ होंगी:-
(i) ऐसा व्यक्ति जिसे पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान हो अथवा व्यावहारिक अनुभव हो,
(ii) पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव हो।

Scanned with CamScanner

(2)

(2) राज्य सरकार के प्रतिनिधि — राज्य सरकार सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 5 सदस्यों को नामित करती है।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व :- राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से अधिकतम 5 व्यक्तियों को नामित करती है।

(4) और ग्रामीण सदस्य — राज्य सरकार अधिकतम 3 सदस्यों को कृषि मत्स्यपालन या उद्योग या व्यापार या कोई हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करती है जिनका भी राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होनी चाहिए।

(5) कम्पनियों या निगमों के प्रतिनिधि — राज्य सरकार, राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबन्धन के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 लोगों का नामांकण करती है।

(6) सदस्य सचिव :- राज्य बोर्ड का एक सदस्य सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य सचिव की निम्नलिखित योग्यताएँ होती है — सदस्य सचिव के रूप में ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धित विषयों में वैज्ञानिक अभियांत्रिकी या प्रबन्धकीय योग्यता ज्ञान और अनुभव हो।

केन्द्र शासित राज्यों के लिए बोर्ड :-

Scanned with CamScanner

अधिनियम की धारा 4(4) के (लिए) अनुसार केन्द्र शासित राज्यों के लिए कोई राज्य बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा केन्द्र शासित राज्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड ही कार्य करेगा। परंतु केन्द्रशासित राज्य के बारे में केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अपनी सभी शक्तियों और कार्यों या इनमें से किसी को प्रत्यायोजन कर सकती है।